भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 144

उत्तर देने की तारीख 10 मार्च, 2025

सोमवार, 19 फाल्गुन 1946 (शक)

पुनर्संरचित कौशल भारत कार्यक्रम

*144. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़: श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुनर्संरचित कौशल भारत कार्यक्रम में किए गए प्रमुख बदलावों तथा 2026 तक इस कार्यक्रम को जारी रखने और पुनर्संरचित करने के उद्देश्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एआई, आईओटी और रोबोटिक्स जैसे नए युग के कौशल को सम्मिलित करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया गया है और क्या सरकार द्वारा इस योजना के तहत रोजगार का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के तहत उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए नौकरी सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस कार्यक्रम के तहत कौशल विकास के लिए चिह्नित किए गए प्रमुख क्षेत्र क्या हैं;

(ङ) क्या इस कार्यक्रम के तहत कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को कोई प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है तथा इसके तहत कितने प्रशिक्षण केंद्रों को उन्नत किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार कौशल भारत कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियोजन दर की निगरानी कर रही है और यदि हां, तो कौशल प्रशिक्षण पूरा करने के बाद नौकरी पाने वाले प्रशिक्षुओं का प्रतिशत क्या है;

(छ) क्या पुनर्संरचित कौशल भारत कार्यक्रम में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण के प्रावधान शामिल हैं तथा इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके) की भूमिका क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या सरकार ने कौशल भारत कार्यक्रम के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म आरंभ किया है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ज) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

पुनर्गठित कुशल भारत कार्यक्रम के संबंध में प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़ और श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा दिनांक 10.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *144 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक 8,800 करोड़ रुपए के समग्र परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम 'कुशल भारत कार्यक्रम (एसआईपी)' को जारी रखने और पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी है। इस स्कीम में तीन घटक अर्थात (i) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), (ii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (पीएम-एनएपीएस), और (iii) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम शामिल हैं। एसआईपी की निरंतरता और पुनर्गठन देश भर में मांग-संचालित, प्रौद्योगिकी-सक्षम और उद्योग-अनुरूप प्रशिक्षण को एकीकृत करके एक कुशल, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पुनर्गठित एसआईपी में किए गए प्रमुख परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:

i. राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास की मांग को ध्यान में रखते हुए कौशल अंतराल अध्ययन और पाठ्यचर्या डिजाइन, प्रशिक्षकों, प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के माध्यम से योगदान दिया गया है।
ii. अल्पावधि कौशल कार्यक्रमों के अंतर्गत ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) का एकीकरण, यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षुओं को वास्तविक दुनिया का अनुभव और उद्योग का अनुभव प्राप्त हो;
iii. शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई), केंद्रीय और राज्य सरकार के संस्थानों और उद्योगों में उपलब्ध सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के परस्पर उपयोग के माध्यम से मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना;
iv. पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, अंतर-मंत्रालयी अभिसरण को आगे बढ़ाने के लिए एक संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे सभी क्षेत्रों में कौशल पहलों का निर्बाध निष्पादन सुनिश्चित हो सके;
v. शिक्षा से काम तक शिक्षुता से औपचारिक रोजगार में संक्रमण का समर्थन करता है प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रति प्रशिक्षु 1,500 प्रति माह;
vi. एआई, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, हरित ऊर्जा और उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों सहित मौजूदा विनिर्माण में प्रशिक्षुता के अवसरों को प्रोत्साहित करता है;
vii. जेएसएस स्कीम स्थानीय जरूरतों को पूरा करती है और उन्हें विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और कठिन क्षेत्रों में जीवन कौशल और उद्यमशीलता के अवसरों तक पहुंच के साथ तकनीकी कौशल प्रदान करके आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाती है।

ix स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूर्व-पंजीकरण, परामर्श, वित्तीय योगदान, लचीले प्रशिक्षण वितरण मॉडल को कवर करने वाला उम्मीदवार-केंद्रित दृष्टिकोण;
x बेहतर प्रशिक्षण जीवनचक्र प्रबंधन, आधार प्रमाणित नामांकन और बायोमेट्रिक उपस्थिति। केवल प्रमाणित प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण की अनुमति और प्रमाणित आकलनकर्ताओं के माध्यम से आकलन;

(ख) एसआईपी के अंतर्गत, पीएमकेवीवाई 4.0 में, उद्योग की उभरती मांगों और आधुनिक युग की तकनीक के आगमन के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए, एआई, 5जी तकनीक, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन तकनीक पर 400 से अधिक नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जो उभरती प्रौद्योगिकियों और भावी कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पीएम-एनएपीएस के तहत, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, आईओटी सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और मैकेनिक ईवी जैसे उभरते क्षेत्रों सहित प्रचलित विनिर्माण में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ग) पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, उद्योग-नेतृत्व वाले क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) द्वारा विकसित राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ़) अनुरूप जॉब रोलों में कौशल प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण उद्योग परिसरों में भी आयोजित किया जाता है और प्रशिक्षकों को उद्योगों से भी जोड़ा जाता है। पीएम-एनएपीएस के अंतर्गत, वित्त-वर्ष 2022-23 से 36,000 से अधिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से 25.7 लाख प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया है। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध कैरियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख किया जाता है। प्रतिष्ठानों/नियोक्ता और उम्मीदवारों के बीच सक्रिय बातचीत सुनिश्चित करने के लिए, पूरे देश में रोज़गार मेले और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, उम्मीदवारों को उद्यमशीलता और आजीविका संवर्धन हेतु उन्मुख करने के लिए प्रत्येक जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में एक आजीविका प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

(घ) पीएमकेवीवाई 4.0 उन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है जो भारत के आर्थिक लक्ष्यों और उभरते वैश्विक रुझानों के साथ संरेखित हैं। इनमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज (एआई, आईओटी , डेटा साइंस), ग्रीन एनर्जी (सोलर, ईवी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर), हेल्थकेयर (मेडिकल डिवाइस, जेरिएट्रिक केयर), एग्रीकल्चर (प्रिसिजन फ़ार्मिंग, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन), फाइनेंशियल सर्विसेज़ (डिजिटल बैंकिंग) और ई-कॉमर्स (रिटेल, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट) शामिल हैं। पीएम-एनएपीएस के अंतर्गत, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, आईओटी सॉफ़्टवेयर एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और मैकेनिक ईवी जैसे उभरते क्षेत्रों सहित

प्रचलित विनिर्माण में शिक्षुता प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जेएसएस के तहत, कौशल पाठ्यक्रमों को एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और संबंधित जिले की स्थानीय ज़रूरतों के साथ जोड़ा जाता है।

(ङ) पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, उम्मीदवारों के प्रशिक्षण और प्रमाणन की लागत योजना द्वारा वहन की जाती है। प्रशिक्षण केंद्रों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। पीएम-एनएपीएस के तहत, सरकार प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रति प्रशिक्षु अधिकतम 1,500 रुपए प्रति माह के आंशिक वजीफे के माध्यम से उन्हें समर्थन देकर प्रतिष्ठानों को प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

(च) एसआईपी के तहत, पीएमकेवीवाई 4.0 में, हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विविध कैरियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख किया गया है। हालांकि, रोजगार के अवसरों को सक्षम करने के लिए, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) प्लेटफ़ॉर्म को वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म के रूप में शुरू किया गया है जो विभिन्न हितधारकों को लक्षित करते हुए आजीवन सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता इकोसिस्टम प्रणालियों को एकीकृत करता है। संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है। स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से, उम्मीदवार जॉब और शिक्षुता के अवसरों तक पहुँच सकते हैं। साथ ही, ऑन-जॉब-ट्रेनिंग (आईजेटी) को पीएमकेवीवाई का एक अंतर्निहित घटक बनाया गया है। इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, एक वर्ष की अवधि के लिए उम्मीदवारों की प्रमाणन के बाद ट्रैकिंग शामिल है।

(छ) एसआईपी के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पीएमकेवीवाई के तहत, प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके) सहित सूचीबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ज) मंत्रालय ने कौशल विकास के लिए डिजिटल पहुँच को सुगम बनाने, कौशल इकोसिस्टम को एकीकृत करने, रोजगार और उद्यमशीलता का संवर्धन करने, आजीवन सीखने को बढ़ावा देने, सूचना गेटवे के रूप में सेवा करने और डेटा-संचालित निर्णय लेने का लाभ उठाने के लिए सितंबर, 2023 में स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है। सिद्ध को कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता परिदृश्य के लिए भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के सिद्धांतों पर डिज़ाइन किया गया है।

*****